क्रमांक एवं आदेश की तिथि १	अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज आर०एम०ए० वाद सं० - 19/2018-19 बाबूजी सोरेन वगैरह - अपीलार्थी -बनाम- मानसिंह मरान्डी वगैरह - उत्तरवादी २	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित ३
19/04/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद, मौजा सनमनी, अंचल बरहेट जिला साहेबगंज अंर्तगत जमाबंदी सं0–66, दाग नं0 क्रमशः 71,74,77,78,916,918,2403,2404,2405,2406 कुल रकवा – 31 बीघा 01 कट्ठा 07 धूर जमीन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा RE वाद सं0 – 33/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त न्यायालय में वाद दायर किया गया है। – उपायुक्त न्यायालय में विभिन्न तिथियों पर सुनवाई के उपरांत दिनांक – 20.08.2018 को वाद अपर उपायुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित किया गया। – वाद को पंजीकृत करते हुए वाद की कार्यवाई प्रारंभ की गई। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत् किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान Note of Arguement समर्पित किया गया है जिसके अनुसार जमाबंदी सं0 – 66 मौजा सनमनी , अंचल – बरहेट की वर्णित भूमि 31 बीघा 01 कट्ठा 07 धूर का एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी अपीलार्थी गण है। उक्त भूमि का खतियानी रैयत निरसू किस्कू जौजे किशुन सोरेन वो केशोवत सोरेन वो पान्डू सोरेन पेशरान शीतल सोरेन है। विज्ञ अधिवक्ता के Note of Arguement के अनुसार उत्तरवादी के वंशज खतियानी रैयत निरसू किस्कू का घर जमाई नहीं रहा है। अपीलार्थी द्वारा विगत 40 वर्षो से उक्त भूमि का लगान रसीद किया गया है जो साबित करता है कि अपीलार्थी उक्त भूमि का विधिक दावेदार है। उनके अनुसार सनमनी मौजा के ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणो की उपस्थिति में दिनांक – 16.12.2011 को पंचनामा तैयार किया गया है जिसमें मानसिंह मरांडी के बारे में सामान्य शादी का उल्लेख किया गया है। – विज्ञ अधिवक्ता द्वारा जमाबंदी सं0 – 136 मौजा सनमनी के खतियानी रैयत की वंशावली का उल्लेख कर अपीलार्थी गण के दावे को संम्पुष्ट करने का प्रयास किया गया है। – उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा कोई Note of Arguement समर्पित नहीं किया गया है। LCR में वर्णित दस्तावेज एवं अंचल अधिकारी ,बरहेट द्वारा निर्गत् जमाबंदी सं0 – 66 मौजा सनमनी के खतियानी रैयत की वंशावली अभिलेख मे संलग्न है।	

Scanned with OKEN Scanner

– वंशावली की विस्तृत विवरणी इस प्रकार है।

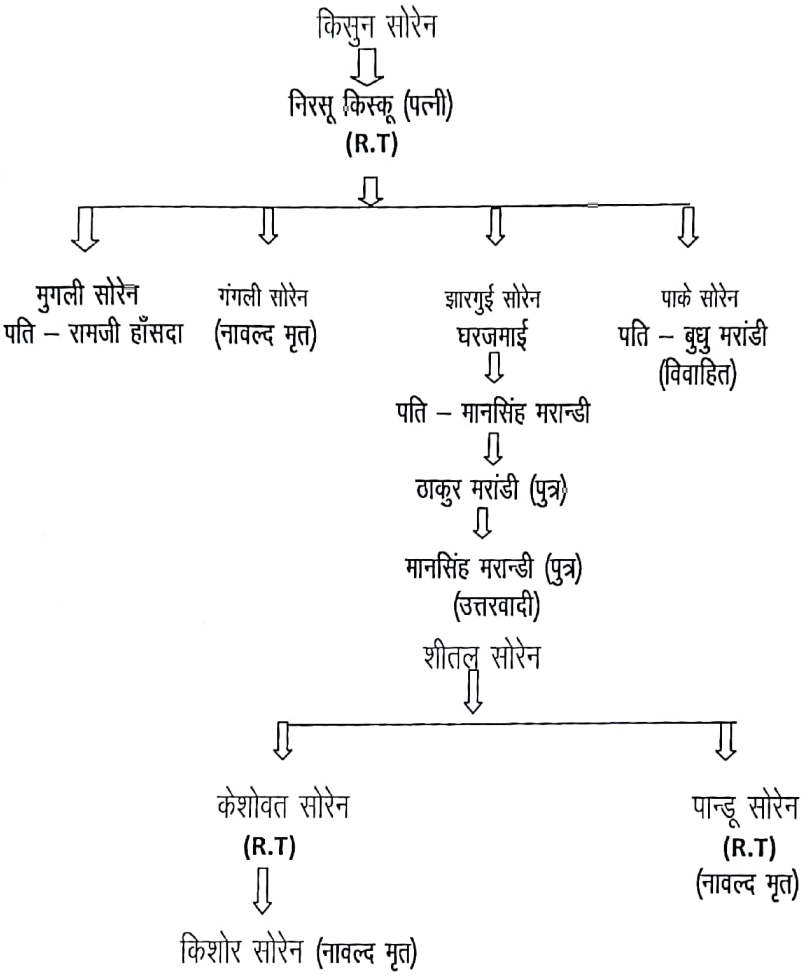

उक्त वंशावली के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा RE वाद सं0 – 33/2012–13 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 (5) एवं 42 के तहत अपीलार्थी के विरूद्व उच्छेदित करने का आदेश पारित किया गया।

– साक्ष्य स्वरूप उत्तरवादी के दादा मानसिंह का घरजमाई शादी का कागजात, नया सर्वे पर्चा इत्यादि संलग्न करते हुए उत्तरवादी के दावे को सही बतलाया है।

– उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बयान एवं संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है। कि मौजा सनमनी अंचल – बरहेट जमाबंदी सं0 – 66 में कुल सन्निहित रकवा 31 गीघा 01 कट्ठा 07 धूर जमीन खतियानी रैयत निरसू किस्कू, केशोवत सोरेन एवं पान्डू सोरेन के नाम दर्ज है, जिसमें अंचल अधिकारी, बरहेट द्वारा निर्गत वंशावली के अनुसार उत्तरवादी वंश वृक्ष में आते है, चूँकि उत्तरवादी के अन्य दो खतियानी रैयत के वंशज नावल्द मृत है।

Scanned with OKEN Scanner

– अपीलार्थी इस वंश वृक्ष में नहीं आते है अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा जमाबंदी सं0 – 136 मौजा सनमनी में वंशावली Note of Arguement में टंकित उधृत किया है जो किसी सक्षम प्राधिकार स्तर से निर्गत नहीं हैं।

– साथ ही यह वाद जमाबंदी सं0 – 66 मौजा सनमनी में अंकित भूमि से संबंधित है जिसमें जमाबंदी सं0 – 136 की उल्लेख करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

– समस्त कागजातों के अवलोकन तथा Note of Arguement के आधार पर उत्तरवादी का उक्त भू– खंड पर दावा उचित एवं युक्ति संगत प्रतीत होता हैं। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

19/04/23

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

19/4/23

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.10.06 16:51:31 +05:30
Location: 192.168.0.114

Scanned with OKEN Scanner